

ANNEXURE - 1

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र (ULBC/UDBC)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्रा/सुपुत्री,
श्री निवासी ग्राम तहसील नगर
..... जिला उत्तराखण्ड राज्य की पिछड़ी
जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तराखण्ड लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य
पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम की अनुसूची
.....के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी उक्त
अधिनियम द्वारा (अधिसूचना संख्या 22/16/92 का 02/1995 टी. सी.
दिनांक 8 दिसम्बर, 1995/यथा संशोधित) द्वारा निर्धारित क्रीमिलेयर से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड
के ग्राम तहसील नगर
..... जिला में सामान्यता रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हस्ताक्षर.....

दिनांक एवं स्थान..... पूरा नाम.....

मोहर.....

जिला अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी/

सिटीमजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

* टिप्पणी : यह प्रमाण पत्र तभी मान्य होगा जबकि यह **बून, 30, 2016** के बाद निर्गत किया गया हो।